तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 170/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/282) बअनवान बाबुलाल व अन्य बनाम चन्दकी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

बाबुलाल व अन्य

बनाम

चन्दकी इत्यादि

उपस्थित

1. श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री जस्साराम चवेल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो व तीन
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या पांच

आदेश

दिनांक 08 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2022 अनवान चन्दकी बनाम बाबूलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 जून 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 225 रकबा 09.15 बीघा में हुक्माराम पुत्र माधाराम का 1/2 हिस्सा था। खातेदार हुक्माराम ने अपने 1/2 हिस्से की संपूर्ण भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 29.03.2010 को अपीलांट को बेचान कर दी एवं रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में हुक्माराम के स्थान पर अपीलांट्स का नाम इन्द्राज कर दिया गया। वक्त खरीद से ही अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष मे है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये रेकर्डेड खातेदारों के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 170/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/282) बअनवान बाबुलाल व अन्य बनाम चन्दकी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दी तथा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई। अपीलांट्स द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि पर मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से रूक गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 जून 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। मूल वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना तथा चाराजोही किये बिना सीधे ही हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय मण्डल द्वारा भी वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए स्थगन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीनीगण/रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मूल खसरा नंबर 225(वर्तमान खसरा नंबर 1169/225, 1166/225, 1168/225, 1167/225) पूर्व में अपने पिता गोपाराम के नाम दर्ज होने से अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा का वाद किया जाना प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द

	होने से संरक्षित रखने के लिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अदालत हाजा के आदेश दिनांक 01.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही किये बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। प्रथमदृष्टया अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	